

## कार्यालय जिलाधिकारी, मैनपुरी।


संख्या 1282 / जि0आ0आ0-मैनपुरी / दै0आ0 / व्यवस्थापन / 2020-21 / दिनांक: नवम्बर, 17, 2020

### विज्ञप्ति


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी के आदेश दिनांक 02.11.2020 द्वारा निलम्बित देशी शराब दुकान खरौआ एवं बीयर दुकान औँछा का 14 दिवस (21.11.2020 से 04.12.2020 तक) की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए आगणित देयताओं पर ऑफर दिनांक 20.11.2020 को अपराह्न 1.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड व पेनकार्ड की छायाप्रति एवं एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिये गये ऑफर में अंकित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की धनराशि चयन के पश्चात् आवंटी द्वारा ऑनलाइन जमा करनी होगी। चयन के पश्चात् लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (जो जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी के नाम देय होगा), जमा करना होगा। प्राप्त ऑफर दिनांक 20.11.2020 को अपराह्न 1:30 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कलेक्ट्रेट मैनपुरी में खोले जायेंगे।  
दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

दुकान का नाम	वार्षिक एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस	01 दिन का एम0जी0क्यू0 / लाइसेंस फीस	14 दिन का एम0 जी0 क्यू0	14 दिन की बे0ला0 फीस / लाइसेंस फीस
1. दे0श0दु0 खरौआ	33480 ब0ली0	91.73 ब0ली0	1285.00 ब0ली0	रु0. 42405/-
2. बीयर दुकान औँछा	रु0. 240000/-	रु0. 657.53/-	—	रु0. 9206/-

इच्छुक व्यक्ति अपना ऑफर दिनांक 20.11.2020 के अपराह्न 1.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कलेक्ट्रेट मैनपुरी में प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मैनपुरी से प्राप्त की जा सकती है।


  
(महेन्द्र पाल) 17/11/2020

जिला आबकारी अधिकारी  
मैनपुरी।

  
(महेन्द्र बिहादुर सिंह)  
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी  
मैनपुरी।

संख्या- 1283-1285/तददिनांक।

- प्रतिलिपि:-1. सम्पादक अमर उजाला/दैनिक जागरण मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति सःशुल्क न्यूनतम स्थान में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।  
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मैनपुरी को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

  
जिला आबकारी अधिकारी  
मैनपुरी।